

मध्य प्रदेश शासन
प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति
सचिवालय

कार्यालय: टैगोर छात्रावास क्रमांक टी-2, श्यामला हिल, भोपाल-462002
दूरभाष एवं फ़ैक्स : 0755-2660461, email:afrcmp@gmail.com, web site: www.afrcmp.org

क्रमांक/सचि./ओएसडी/2017/ 338
प्रति,

दिनांक- 28/2/17

अध्यक्ष/सचिव/अधिष्ठाता,
निजी क्षेत्र की गैर अनुदान प्राप्त (एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रम संचालित) चिकित्सा शिक्षा संस्थाएं
मध्यप्रदेश।

विषय- प्रदेश के निजी क्षेत्र की गैर अनुदान प्राप्त एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रम के सत्र 2017-18 एवं 2018-19 के शुल्क के पुर्नविनियमन/विनियमन के संबंध में।

- संदर्भ- 1. इस सचिवालय का पत्र क्रमांक/सचि./ओएसडी/2017/262 दिनांक 14.02.2017
2. इस सचिवालय का पत्र क्रमांक/सचि./ओएसडी/2017/210 दिनांक 02.02.2017.
2. इस सचिवालय का पत्र क्रमांक/सचि./ओएसडी/2017/188 दिनांक 30.01.2017.

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के माध्यम से समिति द्वारा लिये गये निर्णयानुसार प्रदेश में स्थित निजी क्षेत्र की एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रम संचालित करने वाली गैर अनुदान प्राप्त संस्थाएं जिनका आगामी दो सत्र अर्थात् 2017-18 एवं 2018-19 के शुल्क का पुर्नविनियमन/विनियमन किये जाने हेतु समिति, सचिवालय द्वारा ऑनलाईन प्रक्रिया के माध्यम से दिनांक 04.02.2017 से आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे तथा आवेदन फार्म ऑनलाईन भरने की अंतिम तिथि 28.02.2017 निर्धारित है।

इस संबंध में एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाओं के द्वारा ऑनलाईन प्रक्रिया के माध्यम से जानकारी भरे जाने में कठिनाई होने के कारण ऑनलाईन प्रक्रिया के माध्यम से फार्म भरने की अंतिम तिथि पुनः बढ़ाये जाने के संबंध में प्रस्तुत आवेदन पत्र को माननीय अध्यक्ष महोदय प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति द्वारा संज्ञान में लिया गया एवं दिये गये निर्देशानुसार संस्थाओं के द्वारा किये गये निवेदन के अनुरूप ऑनलाईन फार्म भरने की तिथि को दिनांक 09.03.2017 तक बढ़ाया जाता है। संस्थाएं उक्त संशोधित अंतिम तिथि तक ऑनलाईन प्रक्रिया के माध्यम से ऊपर वर्णित संदर्भित पत्र सरल क्रमांक-1 में दिये गये निर्देशों के अनुरूप फार्म भरने की कार्यवाही पूर्ण करें।

ऊपर वर्णित संदर्भित संदर्भित पत्र सरल क्रमांक-2 में दिये गये निर्देशों के अनुरूप संस्था दिनांक 09.03.2017 तक ऑनलाईन प्रक्रिया के माध्यम से आवेदन पत्र एवं निर्धारित प्रोफार्मा अपलोड कर भरे हुये आवेदन पत्र एवं प्रोफार्मा के प्रिन्ट आउट प्राप्त कर दिनांक 10.03.2017 तक समिति, सचिवालय में आवश्यक रूप से जमा करना अनिवार्य है।

उपरोक्त दर्शाई तिथियों के पश्चात् प्राप्त प्रस्तावों को समिति द्वारा विचार नहीं किया जावेगा एवं एक्ट के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही संभावित है।

N.K.Sharma
28/2/17
(डॉ. एन.के.शर्मा)

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी/सचिव
दिनांक - 28/2/17

पु.क्रमांक/सचि./ओएसडी/2017/ 339

प्रतिलिपि-1. माननीय अपीलीय प्राधिकारी महोदय प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति, भोपाल को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

2. माननीय अध्यक्ष महोदय प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति, भोपाल को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

N.K.Sharma
28/2/17
(डॉ. एन.के.शर्मा)

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी/सचिव